

अनौपचारिक रूपसे आंतरिक
वित्तीय सलाहकार द्वारा परामर्शित।

प्रेषक,

के० संधिल कुमार
सरकार के विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में

महालेखाकार,
(ले० एवं ह०),
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना-01, दिनांक-

विषय:- "निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता" स्कीम अन्तर्गत विशेष सक्षम युवक/युवतियों को उनके योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिलाने के उपरांत नियोजन की सुविधा प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹34,00,000 (रूपये चौतीस लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

महाशय,

वित्त विभाग के बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम 2018 पत्रांक संख्या-व-15/वी० एस० जौ०-15/2018-354 (वि) दिनांक-28.03.2018 एवं पत्रांक-एम-4-09/2014-3244/वि० दिनांक-04.05.2018 द्वारा प्राप्त शक्तियों के आलोक में "निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता" स्कीम अन्तर्गत के तहत विशेष सक्षम युवक/युवतियों को उनके योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिलाने के उपरांत नियोजन की सुविधा प्रदान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹34,00,000 (रूपये चौतीस लाख) मात्र (सलग्न विवरणी के अनुसार) के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

इस स्कीम से राज्य के 38 जिलों में स्थापित अवर प्रादेशिक नियोजनालय/जिला नियोजनालयों द्वारा अपने-अपने जिलों के पंचायतों में ई-दैन निबंधन के क्रम में विशेष सक्षम युवक/युवतियों का चिन्हित कर बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा अधिकृत प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से उनके योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिलाये जाने का कार्य करेंगे एवं प्रतिष्ठित नियोजकों को आमंत्रित कर उनके लिए रोजगार का अवसर दिलाने का प्रयास करेंगे। चिन्हित एवं प्रशिक्षित आवेदकों की सूची विहित प्रपत्र में प्रत्येक माह के पांचवें कार्य दिवस तक निदेशालय नियोजन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्रम सं०	आवेदक का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	मोबाईल नं०	प्रशिक्षण का नाम एवं अवधि	प्रशिक्षण दाता का नाम
1	2	3	4	5	6	7

- इस स्कीम के अंतर्गत व्यय मुख्य शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष-02-रोजगार सेवाएँ, समूह शीर्ष-राज्य स्कीम, लघु शीर्ष-101-रोजगार सेवाएँ मांग सं०-26, उप शीर्ष-0113 "निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता, विपत्र कोड संख्या-26.2230021010113 के अंतर्गत व्यय हेतु विषय शीर्ष-0113.28 04 व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ मद में उपबंधित राशि से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विकल्पित होगा।
- इस राशि का आवटनादेश निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना द्वारा निर्गत किया जायेगा। इस स्कीम अन्तर्गत उपबंधित राशि का निकासी, सभी सहायक निदेशक (नियोजन)/जिला नियोजन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
- इस स्कीम हेतु आवश्यक उद्ब्यय एवं बजट उपबंध उपलब्ध है।
- व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह के पांचवें कार्य दिवस तक निदेशालय नियोजन, बिहार, पटना को भेजना सभी सहायक निदेशक (नियोजन)/जिला नियोजन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- स्कीम पुराना है परन्तु कार्यक्रम इस वित्तीय वर्ष के लिए नई है।
- स्कीम से संबंधित संलेख में प्रशासी विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
- प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में प्रधान सचिव का अनुमोदन पृ०-08/टि० पर प्राप्त है।
- प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ०-08/टि० पर प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/-
(के० संधिल कुमार)
सरकार के विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या:-2/यो0-5010/ 2018-

पटना-01, दिनांक-


प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी जिलों के जिला कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप निदेशक (नियोजन) / सभी सहायक निदेशक (नियोजन) / सभी जिला नियोजन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह०/-
सरकार के विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञाप संख्या:-2/यो0-5010/ 2018- 7-43

पटना-01, दिनांक- 23-07-18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग बिहार, पटना के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव / वित्त विभाग (बजट शाखा) / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना /आई0 टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।


सरकार के विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग
बिहार, पटना।


राज्य स्कीम अन्तर्गत व्यय शीर्ष-2230-श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष-02-रोजगार सेवायें, समूह शीर्ष राज्य योजना, लघु शीर्ष-101- रोजगार सेवायें, उप शीर्ष-0113-"निशक्त: जनो के लिए नियोजन सहायता", माँग संख्या-26, विपत्रकोड-26-2230.02.101.0113 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्रस्तावित राशि।

क्रम सं०	कार्यालय का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता स्कीम के तहत विशेष सक्षम युवक/युवतियों को उनके योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिलाने के उपरांत नियोजन की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित राशि (विषय शीर्ष-28 04 व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ)	कूल योग
1	2	3	4	5
1	अ० प्रा० नि०, पटना	सहायक निदेशक (नियोजन), अ० प्रा० नि०, पटना	1,44,000.00	1,44,000.00
2	अ० प्रा० नि०, गया	सहायक निदेशक (नियोजन), अ० प्रा० नि०, गया	88,000.00	88,000.00
3	अ० प्रा० नि०, मुजफ्फरपुर	सहायक निदेशक (नियोजन), अ० प्रा० नि०, मुजफ्फरपुर	88,000.00	88,000.00
4	अ० प्रा० नि०, दरभंगा	सहायक निदेशक (नियोजन), अ० प्रा० नि०, दरभंगा	88,000.00	88,000.00
5	अ० प्रा० नि०, छपरा	सहायक निदेशक (नियोजन), अ० प्रा० नि०, छपरा	88,000.00	88,000.00
6	अ० प्रा० नि०, सहरसा	सहायक निदेशक (नियोजन), अ० प्रा० नि०, सहरसा	88,000.00	88,000.00
7	अ० प्रा० नि०, भागलपुर	सहायक निदेशक (नियोजन), अ० प्रा० नि०, भागलपुर	88,000.00	88,000.00
8	अ० प्रा० नि०, डालमियानगर	सहायक निदेशक (नियोजन), अ० प्रा० नि०, डालमियानगर	88,000.00	88,000.00
9	जिला नियोजनालय, नालंदा	जिला नियोजन पदाधिकारी, नालंदा	88,000.00	88,000.00
10	जिला नियोजनालय, भोजपुर	जिला नियोजन पदाधिकारी, भोजपुर	88,000.00	88,000.00
11	जिला नियोजनालय, जहानाबाद	जिला नियोजन पदाधिकारी, जहानाबाद	88,000.00	88,000.00
12	जिला नियोजनालय, बक्सर	जिला नियोजन पदाधिकारी, बक्सर	88,000.00	88,000.00
13	जिला नियोजनालय, औरंगाबाद	जिला नियोजन पदाधिकारी, औरंगाबाद	88,000.00	88,000.00
14	जिला नियोजनालय, नवादा	जिला नियोजन पदाधिकारी, नवादा	88,000.00	88,000.00
15	जिला नियोजनालय, मुँगेर	जिला नियोजन पदाधिकारी, मुँगेर	88,000.00	88,000.00
16	जिला नियोजनालय, खगड़िया	जिला नियोजन पदाधिकारी, खगड़िया	88,000.00	88,000.00
17	जिला नियोजनालय, कटिहार	जिला नियोजन पदाधिकारी, कटिहार	88,000.00	88,000.00
18	जिला नियोजनालय, पूर्णिया	जिला नियोजन पदाधिकारी, पूर्णिया	88,000.00	88,000.00
19	जिला नियोजनालय, मधेपुरा	जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा	88,000.00	88,000.00
20	जिला नियोजनालय, बेगुसराय	जिला नियोजन पदाधिकारी, बेगुसराय	88,000.00	88,000.00
21	जिला नियोजनालय, समस्तीपुर	जिला नियोजन पदाधिकारी, समस्तीपुर	88,000.00	88,000.00
22	जिला नियोजनालय, मधुबनी	जिला नियोजन पदाधिकारी, मधुबनी	88,000.00	88,000.00
23	जिला नियोजनालय, मोतिहारी	जिला नियोजन पदाधिकारी, मोतिहारी	88,000.00	88,000.00
24	जिला नियोजनालय, सीतामढ़ी	जिला नियोजन पदाधिकारी, सीतामढ़ी	88,000.00	88,000.00
25	जिला नियोजनालय, बेतिया	जिला नियोजन पदाधिकारी, बेतिया	88,000.00	88,000.00
26	जिला नियोजनालय, वैशाली (हाजीपुर)	जिला नियोजन पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर)	88,000.00	88,000.00
27	जिला नियोजनालय, सिवान	जिला नियोजन पदाधिकारी, सिवान	88,000.00	88,000.00
28	जिला नियोजनालय, गोपालगंज	जिला नियोजन पदाधिकारी, गोपालगंज	88,000.00	88,000.00
29	जिला नियोजनालय, अरवल	जिला नियोजन पदाधिकारी, अरवल	88,000.00	88,000.00
30	जिला नियोजनालय, शिवहर	जिला नियोजन पदाधिकारी, शिवहर	88,000.00	88,000.00
31	जिला नियोजनालय, बाँका	जिला नियोजन पदाधिकारी, बाँका	88,000.00	88,000.00

38

क्रम सं०	कार्यालय का नाम	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	निःशक्त जनों के लिए नियोजन सहायता" स्कीम के तहत विशेष सक्षम युवक/युवतियों को उनके योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिलाने के उपरांत नियोजन की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित राशि (विषय शीर्ष-28 04 व्यवसायिक/कला/तकनीकी सेवाएँ	कूल योग
1	2	3	4	5
32	जिला नियोजनालय, किशनगंज	जिला नियोजन पदाधिकारी, किशनगंज	88,000.00	88,000.00
33	जिला नियोजनालय, अररिया	जिला नियोजन पदाधिकारी, अररिया	88,000.00	88,000.00
34	जिला नियोजनालय, भभुआ	जिला नियोजन पदाधिकारी, भभुआ	88,000.00	88,000.00
35	जिला नियोजनालय, सुपौल	जिला नियोजन पदाधिकारी, सुपौल	88,000.00	88,000.00
36	जिला नियोजनालय, लखीसराय	जिला नियोजन पदाधिकारी, लखीसराय	88,000.00	88,000.00
37	जिला नियोजनालय, शेखपुरा	जिला नियोजन पदाधिकारी, शेखपुरा	88,000.00	88,000.00
38	जिला नियोजनालय, जमुई	जिला नियोजन पदाधिकारी, जमुई	88,000.00	88,000.00
	सकल योग:-		34,00,000.00	34,00,000.00

रुपये चौतीस लाख मात्र


 सरकार के विशेष सचिव
 श्रम संसाधन विभाग
 बिहार, पटना।